मैसर्स केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय आयुक्त, वडोदरा

29 मार्च, 2007

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985; शीर्षक 39.01,39.20 और 70.14: वर्गीकरण:- सुदृढ ग्लास फाइबर प्लास्टिक-उप-शीर्षक 39.01 और 39.20 या 70.14-निर्धारित को लागू करना: फाइबर ग्लास मैट का उपयोग उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है, जो कि अधिनियम के शीर्षक 70.14 के तहत आने वाले कांच के बर्तन की परिधि में नहीं आता है।-

चूंकि विचाराधीन उत्पाद एक समग्र वस्तु है, इसलिए टैरिफ प्रविष्टि की व्याख्या के लिए नियमों के नियम 3 (बी) के संदर्भ में अनिवार्यता का परीक्षण लागू होगा - अनिवार्यता के पहलू पर विचार करते हुए, और अनिवार्यता के परीक्षण को लागू करते हुए, विचाराधीन उत्पाद शीर्षक 39.01 के तहत आता है-

इसलिए, शीर्षक 39.01 के तहत माल को वर्गीकृत करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

अनिवार्यता का परीक्षण-समग्र उत्पाद के वर्गीकरण के संदर्भ में लागू करने की-विवेचना की गई।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो सवाल उठा वह यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा निर्मित ग्लास फाइबर मजबूत प्लास्टिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के शीर्षक 70.14 में आयेगा या शीर्षक 39.20 में आयेगा जैसा निर्धारिति या राजस्व द्वारा इस शीर्षक में आना बताया गया है।

इस संबंध में निर्धारिती द्वारा दायर अपील को न्यायालय ने खारिज करते हुए और राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि:

1.निर्धारिती उपयुक्त विनिर्देशन के फाइबर ग्लास मैट का उपयोग करता है और उसके बाद उक्त मैट में उपयुक्त राल, उत्प्रेरक, वर्णक और त्वरक के साथ मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण/इंजेक्शन का, वर्णक पूरे चटाई में फैल जाता है। यह मिश्रण चटाई को कठोरता देता है। कांच के फाइबर की चटाई का उपयोग छत की चादरें बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

फाइबर ग्लास चटाई को कठोरता प्रदान करता है जो इसका मूल्यवर्धन करती है एवं मिश्रण से प्राप्त चटाई की ताकत चटाई विभाजन, छत आदि में उपयोग करने के लिए पर्याप्त मजबूती प्रदान करती है। लेकिन उस कठोरता के लिए, फाइबर कांच की चटाई छत की चादर पैनल दरवाजे

आदि के रूप में उपयोग करने की स्थिति में नहीं होती है। इसके अलावा, 'ग्लास फाइबर मैट' केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के शीर्षक 70.14 के तहत कांच के बर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं है। [पैरा 5] [551-ए-बी-सी]

2.1 . अधिनियम के शीर्षक 39.20 के तहत, प्लास्टिक की चादरें, अन्य सामान जो लैमिनेटेड सामग्रियों के साथ समर्थित या संयुक्त, प्लास्टिक और उसके सामान के साथ शामिल हुए हैं। दूसरी ओर, शीर्षक 70.14 अध्याय 70 में 'कांच और कांच के बर्तन' को संदर्भित करता है वह विचाराधीन वस्तु एक संयुक्त वस्तु है। हालांकि, जैसा कि राजस्व द्वारा पाया गया है कि प्लास्टिक के साथ मिश्रित होने पर कांच के फाइबर की चटाई में कुछ कठोरता होती है जो छतों और दीवारों के विभाजनों के निर्माण में मदद करती है। वर्तमान मामले में, चूंकि विचाराधीन वस्तु एक संयुक्त वस्तु है, इसलिए अनिवार्यता का परीक्षण लागू होगा। [551 - ई-एफ]

2.2 . अनिवार्यता का परीक्षण "आवश्यक गुण" को संदर्भित करता है। इस परीक्षा में यह कहा गया है कि यदि निर्मित वस्तुओं में कठोरता एक आवश्यक गुण है जो छत बनाने] दीवारों का विभाजन करने के निर्माण के लिये आवश्यक है इसलिये इस वस्तु को प्लास्टिक की वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए। [पैरा 6] [551-एफ]

2.3 . वर्तमान मामले में, की व्याख्या के लिए नियमों के नियम 3 (बी) शुल्क प्रविष्टियाँ लागू होंगी। उक्त नियम के अनुसार समुच्चय में रखी गई मिश्रित वस्तुओं, मिश्रणों और वस्तुओं को इन वर्गीकरणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए -

वह सामग्री या घटक जो उत्पाद को उनका आवश्यक गुण देता है। अगर छत बनाने दीवारों के निर्माण को ध्यान में रखा जाए, तो इस उत्पाद की कठोरता आवश्यक गुण है क्योंकि जब फाईबर ग्लास मेट को मिश्रित कर बनाया जाता है तो यह उत्पाद को कठोरता प्रदान करता है जो छतों के निर्माण] दीवारों के विभाजन में मदद करती है। इसलिये यह वस्तु पिछले शीर्षक 39.01/06 के अंतर्गत आएगी। क्योंकि ऐसा प्लास्टिक उच्च स्तर की इन्सुलेशन गुणवत्ता देता है। [पैरा 6] [551- एफ- एच ; 552-ए]

3. सी. ई. जी. ए. टी. के विवादित फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। [पैरा 7] [552-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 527/2002

अंतिम आदेश No.185/2001-D दिनांक 11.09.2001 से अपील सं.1994 - आर/97EE। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय द्वारा पारित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली)

रमेश सिंह, बीना गुप्ता, श्वेता वर्मा और अमृता स्वरूप - अपीलार्थी के लिए।

आर. वेंकटरमानी, शालिनी कुमार और बी. के. प्रसाद - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गयाः

न्यायमूर्ति श्री कपाडिया, जे.

1.यह वैधानिक अपील कर निर्धारिती के विरूद्व पारित किये गये अंतिम आदेश नम्बर 185/2001-डी-दिनांकित 11.09.2001 जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा अपील नम्बर ई-1994-आर/97 में पारित किया गया। यह मामला फाईबर ग्लास जो रिजिड व समिश्रण प्लास्टिक के वर्गीकरण के मुददे से संबंधित है।

2. कर निर्धारिती कम्पनी मजबूत फाईबर ग्लास प्लास्टिक की निर्माता है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के शीर्ष 70.14 के शेडयूल का वर्गीकरण की मांग करती है। जिसमें राजस्व के अनुसार यह वस्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1985 के शीर्ष 39.20 में वर्गीकृत किये जाने योग्य है।

3. उक्त विवाद को हल करने के लिये इन वस्तुओं को दो शीर्षो में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता हैः-

शीर्षक	उप-शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	
39.20		अन्य प्लेटें, चादरें, फिल्म, पन्नी और प्लास्टिक की पट्टी, गैर-सेलुलर, चाहे लैक्कर्ड हो या मेटालाइज्ड या लैमिनेटेड, समर्थित या इसी तरह अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त या नहीं -विनाइल क्लोराइड के पॉलिमर	
	3920.11	कठोर,सादा	30 %
	3920.12	लचीला, सादा	30 %
	3920.13	कठोर, लाहदार	30 %
	3920.14	लचीली, लाखदार	30 %
	3920.15	कठोर, धातुकृत	30 %
	3920.16	लचीले, धातुकृत	30 %
	3920.17	कठोर, लैमिनेटेड	30 %
	3920.18	लचीला, लैमिनेटेड	30 %
	3920.19	अन्य	30 %

		पुनरुत्पादित सेल्युलोजः	
	3920.21	फिल्म सादा	30 %
	3920.22	फिल्म, लैक्वर्ड	30 %
	3920.23	फिल्म, धातुकृत	30 %
	3920.24	फिल्म, लैमिनेटेड	30 %
	3920.25	शीट, सादा	30 %
	3920.26	शीट, लैक्वर्ड	30 %
	3920.27	शीट, धातुकृत	30 %
	3920.28	शीट, लैमिनेटेड	30 %
	3920.29	अन्य,प्लास्टिक के बारे मेंः	30 %
	3920.31	कठोर, सादा	30 %
	3920.32	लचीला, सादा	30 %
	3920.33	कठोर,लाखदार	30 %
	3920.34	लचीली, लाखदार	30 %
	3920.35	कठोर, धातुकृत	30 %
	3920.36	लचीले, धातुकृत	30 %
	3920.37	कठोर,लैमिनेटेड	30 %
	3920.38	लचीला, लैमिनेटेड	30 %
	3920.39	अन्य	30 %

70.14	7014.00	कांच के रेशे (कांच के ऊन और कांच सहित) बुने हुए कपड़े) चाहे संवर्धित हों या नहीं, कोट प्लास्टिक या वार्निश के साथ कवर या टुकड़े टुकड़े में। केमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तथा अन्य वस्तुयें जिनमें उदाहरणस्वरूप धागा बुना हुआ धागे चाहे वह प्लास्टिक कोटेड या कवर्ड हो या नहीं।	

4. हम निम्नलिखित कारणों से इस दीवानी अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

5. फाईबर ग्लास जो एक सुदृढ प्लास्टिक है, जैसा ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा संख्या 2.1 में इसके निर्माण का तरीका बताया गया है जिसमें कर निर्धारिती फाईबर ग्लास का उपयोग करने से पहले इसकी विशिष्टियां बतायेगा तथा उसके पश्चात इस फाईबर ग्लास मैट में आवश्यक रेजिंन, उत्प्रेरक, रंग आदि का हवाला देगा तथा यह भी बतायेगा कि मिश्रण/इंजेक्शन को मिलाने से इसका रंग पूरी चटाई में फेल जाता है और इस तरह का मिश्रण चटाई को मजबूती प्रदान करता है।

फाईबर ग्लास मैट में जो कच्चा पदार्थ मिलाये है, वह छत डालने वाली चददरों, पैनल तथा दरवाजों में काम आ सकेगा। इस तरह की चटाई में फाईबर ग्लास का प्रयोग करने से उसमें कठोरता बढ जाती है और यह कठोरता मूल्यवर्धन प्रदान करती है जिससे इस चटाई के उपयोग करने से छत बनाने, दीवारों का विभाजन करने के निर्माण में मजबूती प्रदान करता है लेकिन फाईबर ग्लास की चटाई में यह कठोरता छत में काम लेने वाली चददरों की परिभाषा में शामिल नहीं होती है। लेकिन फाईबर ग्लास की चटाई छत की चददर के रूप में स्थिति में नहीं होगी जबकि फाईबर ग्लास चटाई सी. ई. टी. ए.के शीर्षक 70.14 के अनुसार कांच की वस्तु में नहीं आता है इसलिये इस प्रकार कर निर्धारिती के अनुसार यदि फाईबर ग्लास मैट में आवश्यक चीजें मिलाकर उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है तो वह कांच की श्रेणी में नहीं आता है। यदि इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के शीर्षक 70.14 में वर्गीकृत किया जा सकता है। कर निर्धारिती के उक्त तर्क में कोई सार नहीं है।

6. जैसाकि उपर चैप्टर 39 में "प्लास्टिक और उसकी वस्तुओं " शीर्षक 39.20 प्लास्टिक की सीट, लैमिनेटेड और मिश्रित वस्तुऐं प्लास्टिक व उसकी वस्तुओं की ही परिभाषा में ही आती है जबकि दुसरी तरफ चैटर 70 के शीर्षक 70.14 में "कांच व कांच की वस्तुओं" आती है इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत वस्तु मिश्रित वस्तु है। यधपि राजस्व विभाग द्वारा यह पाया गया है कि फाईबर ग्लास की चटाई में जब प्लास्टिक के

दाने कुछ मात्रा में मिलाने पर कठोरता प्रदान करते हैं जो छतों के निर्माण व विभाजन के निर्माण में सहायता प्रदान करते है।

हस्तगत मामले में विवादित वस्तु एक मिश्रित वस्तु है जिसमें आवश्यकता का परीक्षण लागू होगा। आवश्यकता के परीक्षण में आवश्यक गुण " का मतलब यह है कि यदि निर्मित सामान का आवश्यक गुण कठोरता है और छत के निर्माण व दीवारों के विभाजन के लिये कठोरता आवश्यक है तो इस विवादित वस्तु को प्लास्टिक की वस्तु की परिभाषा में ही माना जा सकता है" इस मामले में प्रविष्टियों के निर्वचन शुल्क के नियम 3 (b) लागू होगे। इस नियम के अनुसार मिश्रित वस्तु, मिश्रण एवं ऐसा सामान जिससे इसी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन वस्तुओं की प्रकृति भी इन्हीं के जैसी है।

इसलिये हस्तगत मामले में हमें छत के निर्माण, दीवारों के विभाजन को ध्यान में रखते हुये इस वस्तु का कठोरता एक आवश्यक गुण है। फाईबर ग्लास की चटाई को मिश्रित तत्वों से बनाये जाने से उसमं कठोरता आती है जो छतों के निर्माण व दीवारों के विभाजन में सहायता प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप इन्सुलेशन पेपर व मिश्रित प्लास्टिक की वस्तुऐं कस्टम शुल्क अधिनियम के शीर्षक 39.01/06 की परिधि में आयेगे क्योंकि यह प्लास्टिक उच्च गुणवत्ता का इन्सुलेशन प्रदान करता है जो

नियम 3 (बी) के अनुसार यह स्पष्टता आवश्यक है कि वस्तु के वर्गीकरण के आधार पर उसका आवश्यक गुण दर्शित हो।

यही अनिवार्यता की परीक्षा है कि शुल्क अनुसुची का प्रभाव उत्पाद के गुण के अनुसार विभिन्न शीर्षो के तहत उत्पादों को वर्गीकृत करना है। शुल्क प्रविष्टि की व्याख्या करने विशेष रूप से मिश्रित वस्तुओं के मामले में यह व्याख्या के नियम सहायक होते हैं। जो नियम 3 (b) में वर्णित वस्तुओं का आवश्यक तत्व है इसलिये आवश्यकता की परीक्षा में इस उत्पाद को वर्गीकृत करना उचित रहेगा। शुल्क प्रविष्टियों की व्याख्या करने में मिश्रित वस्तुऐं सहायक साबित होगी।

7. सी. ई. जी. ए. टी. का दिनांकित 11.9.2001 निर्णय का आक्षेपित के विरूद्व तदनुसार निर्धारिती द्वारा दायर इस दीवानी अपील को बिना किसी खर्चे के आदेश के खारिज किया जाता है।

सिविल अपील संख्या 3321/98:

8. इस प्रकार सिविल अपील संख्या 527/02 (उपरोक्तानुसार) में हमारे निष्कर्ष को देखते हुए, यह सिविल अपील स्वीकार की जाती है, कोस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मदन गोपाल आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।